सत्यापन समिति, स्टेनोग्राफर, तृतीय श्रेणी उ0प्र0सि0को0स्टाफ0से0रि0 2016–17, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर

https://districts.ecourts.gov.in/bulandshahar

सूचना

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक सं0 8647/2019/रिकूटमेन्ट सेल/हाईकोर्ट दिनांकित 07.11.2019 के अनुपालन में उ0प्र0सि0को0स्टाफ0से0रि0 2016–17 के द्वारा स्टेनोग्राफर, तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थीगण की सूची सत्यापन समिति को प्राप्त हुई है, जिसमें सत्यापन समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया, सभी उक्त अभ्यर्थियों को **दिनांक 29 नवम्बर 2019** को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना चिकित्सीय एवं अन्य प्रलेखों का सत्यापन करना सुनिश्चित करें।

उसी अनुक्रम में सभी चयनित अभ्यर्थियों के सभी अभिलेख सत्यापित किए जाने हेतु सभी अभ्यर्थीगण जनपद न्यायालय बुलन्दशहर में प्रातः 10.00 बजे निम्नलिखित प्रपत्रों के साथ विडियो कान्फ्रैन्सिंग रूम/कम्प्यूटर रूम, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

आपको सभी अभिलेख माननीय जिला न्यायाधीश महोद्य द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हैं। अतः आप दिनांक 29 नवम्बर 2019 में समिति जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर के समक्ष प्रातः 10.00 बजे निम्नलिखित प्रपत्रों के साथ **विडियो कान्फ्रैन्सिंग रूम, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर** में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

1. सभी मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र व इनकी दो–दो छायाप्रतियॉ (जो आपने आवेदन करते समय संलग्न किये हैं)।
2. अपने नवीनतम 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफस।
3. दो चरित्र प्रमाण पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी (जो कि अभ्यर्थी के स्कूल/कॉलेज के न हो व अभ्यर्थी के सम्बंधी द्वारा जारी न किये गये हो) द्वारा जारी जोकि 6 माह से पुराने न हो। (जिस राजपत्रित अधिकारी द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है उसका नाम व पदनाम सुस्पष्ट अंकित होना अनिवार्य है।)
4. अन्तिम शैक्षिक संस्थान के प्राचार्य/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।
5. अभ्यथियों को चिकित्सीय परीक्षा के लिए समिति द्वारा निर्धारित की गई दिनांक को चिकित्सीय जांच के लिए उपस्थित होना होगा।
6. यदि आपने विकलांगता का दावा किया है तो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र।
7. समिति द्वारा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी होने के 30 दिन के अन्दर नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष अपनी योगदान आख्या देना/नियुक्ति लेना अनिवार्य होगा।
8. मा0 जिला न्यायाधीश महोद्य को सम्बोधित इस आशय का शपथ पत्र दें कि आप विवाहित/अविवाहित हैं, और यदि विवाहित हैं तो आपके केवल एक ही जीवित पति/पत्नी है।
9. मा0 जिला न्यायाधीश महोद्य को सम्बोधित इस आशय का शपथ पत्र दें कि आप द्वारा पूर्व में संदर्भित जनपदों में इस पद पर नियुक्ति हेतु कोई योगदान आख्या नहीं दी गई।
10. मा0 जिला न्यायाधीश महोद्य को सम्बोधित शपथ पत्र जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर समाहित हों, प्रस्तुत करें–

क– क्या आपके विरूद्व कोई अपराधिक वाद कभी पंजीकृत हुआ है अथवा लम्बित है?

ख– क्या विधि न्यायालय द्वारा आपका कभी आपराधिक परीक्षण किया गया, जिसमें आप दोष सिद्व या दोष मुक्त हुए हो?

ग– उपर्युक्त प्रश्न संख्या क व ख का उत्तर सकारात्मक होने की स्थिति में केस का सन्दर्भ सहित विवरण दें। शपथ पत्र में यह भी अंकित हो कि जितने भी अभिलेख प्रस्तुत किये जा रहे हैं वे सब सही एवं वास्तविक हैं।

I/C अध्यक्ष
समिति/अपर जिला एवं
सत्र न्यायाधीश
बुलन्दशहर
21/11/19